भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2714
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 17 मार्च, 2025
26 फाल्गुन, 1946 (शक)

पूर्वोतर क्षेत्र में एएसआई सर्वेक्षण

2714. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कोई विशिष्ट उद्देश्य हैं जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न स्थलों में चल रहे अन्वेषणों के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इन अन्वेषणों के दौरान एएसआई दल द्ववारा उपयोग की जा रही तकनीकी विधियों और उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) इन अन्वेषणों के माध्यम से खोजी गई सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पूर्वोत्तर राज्यों में संभावित पुरातत्वीय स्थलों की व्यवस्थित रूप से पहचान करने , पता लगाने और दस्तावेजीकरण के प्रयोजनार्थ समय-समय पर अन्वेषण करता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 2024 में कल्लीचेरा, जिला हैलाकंडी, असम में अन्वेषण और वर्ष 2023 में भीसमाक नगर, जिला निचली दिबांग घाटी, अरूणाचल प्रदेश में लिडार (एचआईडीएआर) सर्वेक्षण किया है ताकि दबी हुई संरचनाओं, यदि कोई हो, का पता लगाया जा सके।

(ख): लिडार सर्वेक्षण, डिजिटल फोटो दस्तावेजीकरण, जीपीएस आदि का उपयोग अन्वेषण के दौरान आवश्यकता अनुसार किया जाता है।

(ग): नियमित प्रक्रिया के अनुसार, जब राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित करने योग्य किसी प्राचीन स्मारक अथवा पुरातत्वीय स्थल का पता चलता है तो संरक्षण प्रस्ताव तैयार किया जाता है और इसे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत संरक्षित स्मारक अथवा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

*****